संपादकीय जागरण

शनिवार, 27 अक्टूबर, 2018 : कार्तिक कृष्ण 3 वि. 2075

प्रात :काल का भ्रमण पूरे दिन का वरदान होता है

सुरक्षा की दीवार

यह अच्छा हुआ कि अमृतसर में भीषण हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने यह समझा कि सघन आबादी वाले इलाकों में रेल पटरियों के किनारे दीवारें खड़ी करने की योजना को गति देने की जरूरत है। इस योजना के फिर से रेल मंत्रालय के एजेंडे पर आने के बावजूद यह स्पष्ट ही है कि देश में ऐसे तमाम शहरी और साथ ही ग्रामीण इलाके हैं जहां रेल पटरियों के दोनों छोरों पर दीवार बनाने की जरूरत है। आज जब रेलगाड़ियों की गति और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है तब ऐसे उपाय किए ही जाने चाहिए जिससे अमृतसर सरीखे हादसे फिर न हो सकें। इस खौफनाक हादसे ने करीब साठ लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि यह भी रेखांकित किया कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों की सुरक्षा के मामले में घोर लापरवाही बरती जाती है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने यह न महसूस किया हो कि अमृतसर में दशहरे के दिन रावण दहन के दौरान पटरियों पर खड़े जिन लोगों की जान गई उन्हें बचाया जा सकता था। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि इस हादसे के बाद कई राज्यों के नेताओं की ओर से यह कहा गया कि रेल मंत्रालय को रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। यदि यह सोचा जा रहा है कि रेल मंत्रालय देश भर में सघन आबादी वाले इलाकों में पटरियों के किनारे आनन-फानन दीवारें खड़ी कर देगा तो यह सही नहीं। इतने बड़े देश में रेल मंत्रालय चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो उसके पास संसाधनों का अभाव है और दूसरे ऐसे इलाके तेजी से बढ़ रहे हैं जहां पटरियों किनारे आबादी की भी वृद्धि हो रही है। समस्या यह है कि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन इसकी जरूरत ही नहीं समझ रहे कि पटरियों के किनारे आबादी की बसाहट कम से कम होनी चाहिए।

अपने देश में रेल पटरियां बिछते ही उनके किनारे आबादी की बसाहट शुरू हो जाती है। समय के साथ वहां घर बनने लगते हैं और फिर हाट-बाजार लगने भी शुरू हो जाते हैं। उचित यह होगा कि रेल मंत्रालय राज्यों को इसके लिए आगाह करे कि वे पटरियों के इर्द-गिर्द आबादी की बसाहट नियंत्रित करें। यदि किन्ही कारणों से ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वे हादसे रोकने के उपाय खुद करें। जिस तरह रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ उनके स्थानीय प्रशासन को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए उसी तरह आम लोगों को भी यह समझना चाहिए कि पटरियों के आसपास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अभी तो सावधानी के बजाय लापरवाही का परिचय अधिक दिया जाता है। रेलवे क्रासिंग पर भी ट्रेन की अनदेखी कर ट्रैक पार करने की हड़बड़ी दिखाते लोग हर कहीं मिल जाएंगे। आखिर इसे जानबूझकर जोखिम मोल लेने के अलावा और क्या कह सकते हैं? बेहतर होगा कि लोग यह समझें कि पटरियों के किनारे सतर्क रहना खुद उनके हित में है। निःसंदेह केवल रेल पटरियां ही सतर्कता की मांग नहीं करतीं। यह मांग तो प्रत्येक सार्वजनिक स्थल की है।

दगाबाज बिल्डर

प्रतिष्ठित बिल्डर अंसल एपीआइ ने अपने ग्राहकों के साथ जो दगाबाजी की, वह कानूनन अपराध तो है ही, उन तमाम मध्यवर्गीय लोगों को मायूस करने वाला हादसा भी है जो लखनऊ और अन्य शहरों में अपने घर का सपना संजोए हुए हैं। लोगों के सामने यक्ष प्रश्न है कि यदि अंसल जैसे बिल्डर भी ऐसी धोखाधड़ी कर रहे हैं तो वे किस पर भरोसा करें? रेरा ने अंसल पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, पर इससे उन ग्राहकों को क्या लाभ मिलेगा जिनके साथ दगाबाजी हुई? अंसल ने ग्राहकों की बुकिंग का पैसा दूसरी परियोजनाओं में लगा दिया। उसके पास अब न पैसा है और न जमीन। विडंबना है कि बिल्डर की इतनी दुस्साहसिक धोखाधड़ी उजागर हो जाने के बावजूद रेरा द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाने के सिवा उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियों का ऑडिट कराया जाए ताकि ग्राहकों के साथ यदि कोई धोखाधड़ी की जा रही है तो समय रहते उसे नियंत्रित किया जा सके

इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अंसल की रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी में कई सेवानिवृत्त नौकरशाह और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं। इन पर हाथ डालना शासन-प्रशासन के लिए आसान नहीं है। ऐसे में यह सवाल चिंतित करता है कि धोखाधड़ी के शिकार ग्राहकों को न्याय कैसे मिलेगा? अंसल पहला बिल्डर नहीं है जिसने ग्राहकों के साथ दगाबाजी की। अंसल प्रकरण संकेत देगा कि रेरा के जरिए ग्राहकों को कितनी ताकत मिली है। रेरा को ग्राहकों के जागरण का अभियान छेड़ना चाहिए ताकि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले देख लें और अंसल जैसी धोखाधड़ी के शिकार होने से बचे रहें। बेहतर होगा कि अंसल के प्रकरण से सबक लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनियों का ऑडिट कराया जाए ताकि ग्राहकों के साथ यदि कोई धोखाधड़ी की जा रही है तो समय रहते उसे नियंत्रित किया जा सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बल्लेबाजी कौशल के लिहाज से विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज हैं?

आज का सवाल

क्या आप मुकेश अंबानी के कथन से सहमत हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकता है?

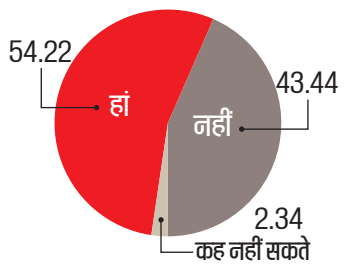

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सुधारों का इंतजार करती सीबीआइ

प्रकाश सिंह

करीब 40 साल से विभिन्न समितियां बार-बार यह कह रही हैं कि सीबीआइ का अलग अधिनियम बनाया जाए, परंतु कोई भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआइ समय-समय पर विवादों के घेरे में आती रही है। यह भी कहा जा सकता है कि जब-जब सीबीआइ पर राजनीतिक दबाव पड़ा तब-तब उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगे। 1984 में सीबीआइ ने जब जगदीश टाइटलर को बेदाग करार दिया तब उस समय बहुत से लोगों ने उस पर अंगुली उठाई। बाद में मुलायम सिंह और मायावती के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी सीबीआइ ने लीपापोती की। फलस्वरूप ये दोनों नेता कानून की पकड़ से बच गए। बोफोर्स तोप की खरीद में भी सीबीआइ की निष्पक्षता पर सवाल उठे। दरअसल जो भी पार्टी सत्ता में रही उसने सीबीआइ का दुरुपयोग किया। एक बार सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता ने तो खुलेआम विरोधियों को धमकाते हुए कहा था कि हमारे पास सीबीआइ है। वर्तमान में सीबीआइ में जो उठापटक जारी है उसके पीछे भी राजनीतिक हस्तक्षेप है। सत्तारूढ़ पार्टी राकेश अस्थाना को सीबीआइ में वरिष्ठतम पद पर बैठाना चाहती थी। वह ऐसा नहीं कर पाई परंतु उसने निदेशक की आपत्ति के बावजूद उन्हें विशेष निदेशक बना दिया। निदेशक का कहना था कि अस्थाना की पृष्ठभूमि स्वच्छ नहीं है इसलिए वह सीबीआइ के उपयुक्त नहीं हैं परंतु मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी ने अस्थाना का समर्थन किया और वह सीबीआइ में दूसरे वरिष्ठतम पद पर नियुक्त हो गए।

सीबीआइ के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच हमेशा खींचतान रही। दोनों के बीच लगभग एक साल से मनमुटाव चला आ रहा था। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उनके बीच की समस्याओं को सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, जिसके अधीन सीबीआइ आती है, ने कोई बीचबचाव नहीं किया। सीवीसी भी तमाशा देखते रहे। फलस्वरूप स्थिति बिगड़ती गई। दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे। जब पानी सिर से पानी ऊपर बहने लगा तब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया और एक संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव को एजेंसी का अंतरिम कार्यभार दे दिया गया। सीबीआइ के वे अधिकारी जो निदेशक के समीप थे और जो विशेष निदेशक के विरुद्ध जांच कर रहे थे उन्हें दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। इस समूचे प्रकरण में कुछ बातें खासतौर से उभरकर सामने आती हैं। पहली तो यह कि राकेश अस्थाना को बराबर इस बात का अहसास था कि उन्हें राजनीतिक समर्थन हासिल है इसलिए वह जो चाहे कर सकते हैं। सामान्यतः किसी भी पुलिस विभाग में नंबर दो के अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वह नंबर एक अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करे परंतु अस्थाना लगातार ऐसा करते रहे। यहां तक कि उन्होंने सीवीसी के पास शिकायती पत्र भी भेजा। सीबीआइ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में राकेश अस्थाना पर आरोप लगाया है कि वह जांच की आड़ में वसूली का रैकेट चला रहे थे। एक जनहित याचिका के अनुसार उन पर कई मुकदमें भी चल रहे हैं। उन पर यह भी आरोप है कि अपनी बेटी की शादी के दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई होटलों में समारोह आयोजित किए। सीबीआइ के झगड़े में सीवीसी की भूमिका निष्पक्ष नहीं नजर आती। निदेशक ने सीवीसी से अस्थाना के शिकायती पत्र की प्रतिलिपि मांगी थी। यह उन्हें नहीं उपलब्ध कराई गई, यद्यपि पत्र के उद्धरण समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। बाद में सीवीसी ने भारत सरकार को जो पत्र लिखा उसे पढ़ने से पक्षपात का आभास होता है। उधर सीवीसी की मानें तो निदेशक उनके साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि अड़ंगा लगा रहे थे और जरूरी फाइलें नहीं दे रहे थे। जो भी हो, भारत सरकार ने सीवीसी के पत्र के आधार पर ही वर्मा और अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेजा।

अवधेश राजपूत

भारत सरकार ने जिस तरह आधी रात को सीबीआइ में तख्तापलट किया उसकी आवश्यकता समझ में नहीं आती। सीबीआइ निदेशक के पास कोई फौज तो है नहीं जिससे वह विरोध करते। वह सादे कपड़े वाले अधिकारी हैं। बाकी सभी कर्मी भी सादे कपड़े में कार्य करते हैं। सुबह दस बजे बड़ी आसानी से भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता था। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस अफसर को निदेशक का कार्यभार अंतरिम रूप से दिया गया उसकी सत्यनिष्ठा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सबके बीच सारा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। कई बिंदुओं पर कानूनी राय अलग-अलग है। क्या भारत सरकार को सीबीआइ निदेशक को छुट्टी पर भेजने का अधिकार था? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया है इसलिए इससे पहले उन्हें कार्यभार से वंचित करने को लेकर सवाल उभर रहे हैं। क्या यह आवश्यक नहीं था कि चयन समिति के तीनों सदस्यों यानी प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की इस संबंध में राय ली जाती?

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि सीबीआइ निदेशक और विशेष निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग पूरी करे। जांच का पर्यवेक्षण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एके पटनायक करेंगे। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और चूंकि इसमें कोई देरी नहीं की जा सकती इसलिए जांच दो हफ्तों में पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के बारे में कहा है कि वह इस अवधि में सीबीआइ की केवल प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे और कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम निदेशक द्वारा लिए गए निर्णयों को एक बंद लिफाफे में देने को भी कहा है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से सीबीआइ का मौजूदा विवाद कुछ समय में सुलझ जाएगा और इस संस्था में जल्द ही एक कुशल अधिकारी की निदेशक के रूप में नियुक्ति होगी और जांच एजेंसी की गाड़ी फिर से धीरे-धीरे पटरी पर आ जाएगी। यह उम्मीद पूरी होने के साथ ही यह भी होना चाहिए कि सीबीआइ के बारे में दूरगामी निर्णय लिए जाएं। इसकी सख्त आवश्यकता है।

यह हास्यास्पद है कि आज भी सीबीआइ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1946 के तहत ही कार्य करती है। पिछले करीब 40 साल से विभिन्न समितियां बार-बार यह कह रही हैं कि सीबीआइ का अलग अधिनियम बनाया जाए परंतु कोई भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। शायद सभी को सीबीआइ का वर्तमान स्वरूप ही ठीक लगता है, क्योंकि उसका मनचाहा उपयोग-दुरुपयोग किया जा सकता है। 1978 में एलपी सिंह समिति ने संस्तुति की थी कि एक व्यापक केंद्रीय अधिनियम बनाकर सीबीआइ को सशक्त बनाया जाए। संसद की एक स्थाई समिति ने भी 2007 और 2008 में संस्तुति की थी कि सीबीआइ को विधिक आधार और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेरी जनहित याचिका भी पांच वर्षों से लंबित पड़ी है।

(लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं)

response@jagran.com

जन जागरूकता से नियंत्रित करें पटाखे

पंकज चतुर्वेदी

पटाखों पर लगाम लगाने के लिए दीपावली का इंतजार करने से वांछित नतीजे शायद ही हासिल हों

दीपावली के करीब 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि आतिशबाजी आम लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रही है और इसीलिए सीमित आवाज एवं कम प्रदूषण वाले पटाखे केवल दो घंटे, रात आठ से दस बजे, ही चलाए जा सकते हैं। यह आदेश आते ही कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी और सुप्रीम कोर्ट को हिंदू धर्म की परंपरा के खिलाफ बताने लगे। सच यह है कि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पटाखे चलाना कभी भी इस धर्म का हिस्सा नहीं रहा है। सनद रहे कि बीते साल दिवाली से पहले दिल्ली ही नहीं, देश के एक बड़े हिस्से में 'स्मॉग' ने जो हाल किया था, उसे याद कर ही सिहरन पैदा हो जाती है। स्मॉग (कोहरे और धुएं के मिश्रण) में जहरीले कण होते हैं,जो भारी होने के कारण ऊपर उठ नहीं पाते। जब लोग सांस लेते हैं तो वे फेफड़े में पहुंच जाते हैं। ये कैंसर, हृदय रोग और सांस की बीमारी का कारण बनते हैं। पिछले साल भी तीन बच्चों ने संविधान में प्रदत्त जीने के अधिकार का उल्लेख कर आतिशबाजी के कारण सांस लेने में होने वाली दिक्कत को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि आतिशबाजी पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाए। तब अदालत ने पर्व की जनभावनाओं का खयाल कर पाबंदी से इन्कार कर दिया था, परंतु दिल्ली-एनसीआर की हवा में जहर के हालात देखते हुए इस इलाके में पटाखों की बिक्री पर रोक जरूर लगा दी थी। सब जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत के उस सख्त आदेश का असर बहुत कम हुआ। हालांकि प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम तो हुआ था, लेकिन खतरनाक स्तर के दंश से मुक्त नहीं हो पाया था।

यह किसी से छिपा नहीं कि दीपावली की आतिशबाजी दिल्ली सहित देश के करीब 200 शहरों की आबोहवा को जहरीला कर देती है। राजधानी दिल्ली में तो कई सालों से बाकायदा एक सरकारी सलाह जारी की जाती है-यदि जरूरी न हो तो घर से न निकलें। चूंकि हरियाणा-पंजाब में खेत के अवशेष यानी पराली जल ही रही है, साथ ही हर जगह अनियोजित निर्माण, जाम, धूल कण हवा को दूषित कर रहे हैं, ऐसे में बेलगाम आतिशबाजी के कारण हालात बेकाबू हो सकते हैं।

पटाखे जलाने से निकले धुएं में सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, शीशा, आर्सेनिक, बेंजीन, अमोनिया जैसे कई जहरीले तत्व सांसों के जरिये शरीर में घुलते हैं। इनका कुप्रभाव परिवेश में मौजूद पशु-पक्षियों पर भी होता है। यही नहीं, इससे उपजा करोड़ों टन कचरे का निबटान भी बड़ी समस्या है। यदि इसे जलाया जाए तो भयानक वायु प्रदूषण होता है। यदि इसके कागज वाले हिस्से को रिसाइकल किया जाए तो भी जहर प्रकृति में समाता है और यदि इसे डंपिंग में यूं ही पड़ा रहने दिया जाए तो इसके विषैले कण जमीन में जज्ब होकर भूजल और जमीन को स्थाई और लाइलाज स्तर पर जहरीला कर देते हैं। आतिशबाजी से उपजे शोर के घातक परिणाम तो हर साल बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग भुगतते ही हैं। इस पर गौर करें कि रात 10 बजे के बाद वैसे भी पटाखे चलाना अपराध है। कार्रवाई होने पर छह माह की सजा भी हो सकती है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में दिया था जो अब कानून की शक्ल ले चुका है। फिर भी दिवाली पर रातभर पटाखे चलते हैं। देखा जाए तो आतिशबाजी को नियंत्रित करने की शुरुआत ही लापरवाही से है। विस्फोटक नियमावली 1983 और विस्फोटक अधिनियम के परिपालन में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि 145 डेसीबल से अधिक ध्वनि तीव्रता के पटाखों का निर्माण, उपयोग और विक्रय गैरकानूनी है। प्रत्येक पटाखे पर केमिकल एक्सपायरी और एमआरपी के साथ-साथ उसकी तीव्रता भी अंकित होनी चाहिए। हालांकि बाजार में बिकने वाले पटाखों पर उसकी ध्वनि तीव्रता अंकित नहीं होती। बाजार में 500 डेसीबल की तीव्रता के पटाखे भी उपलब्ध हैं। यही नहीं, चीन से आए पटाखों में जहर की मात्रा असीम है और इस पर कहीं कोई रोक-टोक नहीं है।

कानून कहता है कि पटाखा छूटने के स्थल से चार मीटर के भीतर 145 डेसीबल से अधिक आवाज नहीं हो। अस्पताल, शैक्षणिक स्थल, न्यायालय परिसर और सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित स्थल से 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का शोर तो कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सबकी अनदेखी होती है। परंपरा और धर्म के नाम पर आतिशबाजी चलाने वालों को जानना चाहिए कि प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत शीर्ष पर रहा है। लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में वायु, जल और दूसरी तरह के प्रदूषण की वजह से भारत में 25 लाख लोगों ने जान गंवाई। आतिशबाजी नियंत्रित करने के लिए दीपावली का इंतजार करने से बेहतर होगा कि पूरे साल पटाखों में प्रयुक्त सामग्री और उनकी आवाज पर नियंत्रण की कोशिश हो। इसी तरह प्रचार माध्यमों और पाठ्य पुस्तकों के जरिये आम लोगों को यह बताया जाए कि पटाखों के क्या नुकसान होते हैं। जिन ग्रीन पटाखों की बात हो रही है, वही बनने चाहिए।

response@jagran.com

ऊर्जा

चेतन तत्व

यह संसार परिवर्तनशील है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आप स्वयं में अकेले थे, हैं और रहेंगे। जगत में संबंध बनते, बिगड़ते रहते हैं। आज जैसी स्थिति है कोई जरूरी नहीं कि कल भी वैसी ही रहे। स्मरण करें, जब आप प्रथम बार विद्यालय में भेजे गए थे। दाखिला होने के बाद उस विद्यालय में कितने लोगों से मिले। संयोग बना और संबंध बनने लगे। कालांतर में ये संबंध धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए तथा नए-नए संबंध बनने लगे और फिर पुराने टूटते गए। जगत में रहते हुए संयोग बनते रहते हैं और बिगड़ते भी जाते हैं। जब संयोग बना, तब भी आप थे और जब वियोग हुआ, तब भी आप ही थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप वहीं के वहीं रहे। आपका अस्तित्व किसी के साथ संबंध बनने और समाप्त हो जाने के अधीन नहीं है। संयोग बनना और वियोग होना तो सांसारिक प्रपंच मात्र है।

संसार में जीवित रहने पर लोगों से संबंध बनते अवश्य हैं, परंतु यह संदेहरहित है कि सत्य स्वरूप आप अकेले थे और अकेले ही रहेंगे। मनुष्य का पारिवारिक संबंध जिसे अति आत्मीय और रक्त का संबंध कहा जाता है और जो सांसारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत माना जाता है, वह संबंध भी स्थाई नहीं है। इस सत्यता का प्रकटीकरण तभी हो पाता है, जब कोई सबसे निकटतम प्रियजन जिससे मनुष्य अतिस्नेह करता हो, जिसे अपना कहते-कहते उसकी जिह्वा थकती नहीं हो, जब वह इस संसार से विदा हो जाता है, तब मनुष्य के मस्तिष्क को जोरदार झटका लगता है। सच्चाई प्रकट हो जाती है कि इस जगत में कोई किसी का नहीं है। सभी मार्ग में सफर करते हुए यात्री मात्र हैं।

ढका हुआ सत्य पूर्ण रूप से प्रकट होकर सामने आ जाता है। वह ठहर कर सोचने लगता है कि अरे मैंने तो सोचा था कि संसार से विदा हो जाने वाले से हमारा कभी संबंध विच्छेद होगा ही नहीं, यह केवल मेरा मिथ्या भ्रम ही था। लोग बदलते हैं, समाज बदलता है, दुनिया बदलती है, मनुष्य का समय और आयु भी परिवर्तित हो जाती है, परंतु आपका चेतन स्वरूप वही रहता है। आप पूर्ण सत्यस्वरूप चेतन तत्व के अंश हैं, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता।

अशोक वाजपेयी

तथ्य-कथ्य | पेट्रोल की खपत (1000 मीट्रिक टन में)

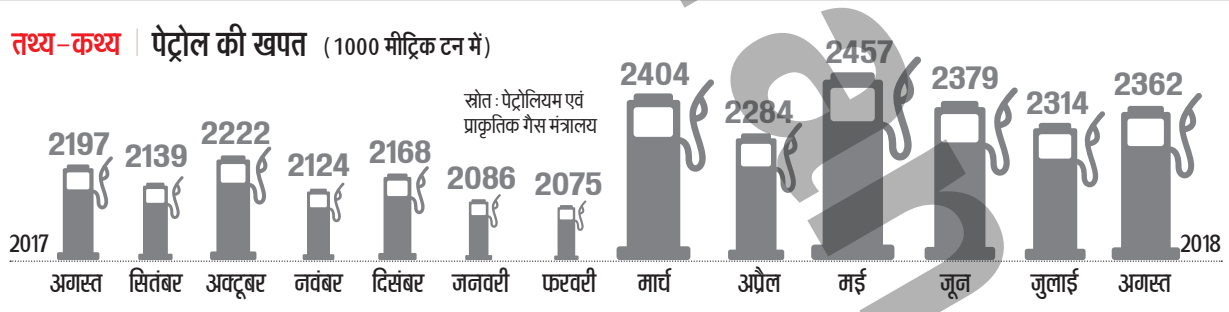

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

ठीक से लागू हों योजनाएं

कर्जमाफी से बेहतर है तय आय की गारंटी शीर्षक से लिखे अपने लेख में सुधीर पंवार ने विभिन्न प्रकार की कृषि समस्याओं तथा वर्तमान सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। एक ओर लेखक का मानना है कि बीते तीन वर्षों में अनुकूल जलवायु और कृषि नीतियों के कारण फसलों का बंपर उत्पादन हुआ है वहीं दूसरी ओर लेखक विभिन्न सरकारी प्रयासों को भी किसानों की समस्याएं दूर करने में नाकाम मानते हैं। इससे लगता है कि लेखक ने तटस्थ भाव से विषय का आकलन नहीं किया है। क्या यह बात सही नहीं है कि फसल बीमा योजना, मृदा कार्ड, सस्ते ऋण, कर्ज माफी, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई के साधन, कृषि उपकरण, ई कृषि, किसान एप तथा ऑर्गेनिक खेती आदि अनेक ऐसे सकारात्मक तथा ऐतिहासिक प्रयास किए गए हैं जिससे कृषि और किसानों की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं? निश्चित रूप से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों तथा श्रमिकों के रूप में कृषि पर निर्भर है जिसके लिए आय की गारंटी होना आवश्यक है, लेकिन कैसे? मनरेगा से कितने श्रमिक को लाभ पहुंचा और वे संतुष्ट हैं? तय आय की गारंटी का प्रस्ताव भी उचित नहीं है, इसका भी दुरुपयोग ही होगा। आवश्यकता है सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं ठीक प्रकार से लागू की जाएं और समय-समय पर उनका मूल्यांकन हो।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

सीबीआइ में उठापटक

देश की सबसे ज्यादा विश्वसनीय व भरोसेमंद संस्था सीबीआइ में जो उठापटक हो रही है, वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। चुनाव आयोग की तरह सीबीआइ में भी सरकार का किसी भी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए। यह संस्था पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी सरकार हो वह अपने हिसाब से इसे चलाना चाहती है। सीबीआइ जैसी संस्था को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार मिलना आज समय की मांग है। hemahariupadhyay@gmail.com

खुद बरतें संयम

हर साल सर्दी के मौसम में पूरा दिल्ली-एनसीआर भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाता है। इस बार पराली का धुआं तो दूसरी तरफ पटाखों की मंजूरी से दिल्ली का प्रदूषण पिछले साल से भी खतरनाक स्थिति में पहुंचसकता है। सीपीसीबी ने प्रदूषण पर जितनी रिपोर्ट दी हैं उनमें से 50 फीसद पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बेशक पटाखों को इस बार सशर्त मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये आम लोगों की जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण को ध्यान में रखकर कम से कम पटाखा चलाएं, जिससे वायु को स्वच्छ रखने में मदद मिल सके। वर्षा यादव, गाजियाबाद

कोर्ट का निर्णय उचित

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाना ठीक नही समझा, क्योंकि एक तो उसके आदेश का पालन कराना मुश्किल होता और दूसरे, ऐसे किसी फैसले का यह कहकर विरोध भी होता कि सबसे बड़े पर्व की उत्सव धर्मिता खत्म की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर केवल रात आठ से दस बजे के बीच पटाखे चलाने की अनुमति दी है, लेकिन क्या इस समय सीमा का पालन हो सकेगा? यह समयावधि उत्तर और पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से के लिए उचित है, क्योंकि यह इलाका गंभीर किस्म के वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाता है। लोग दिवाली पर पटाखे चलाने में संयम बरतें। संयम केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही नहीं, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए भी जरूरी है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि पटाखे दिवाली का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जब उनका अधिक इस्तेमाल सेहत के लिए संकट बन जा रहा हो तो फिर उनका सीमित प्रयोग वक्त की जरूरत है। diwakardasy3806@gmail.com

रक्षा उत्पादन में भविष्य की चिंताएं

इन दिनों सुर्खियों में चल रहे राफेल विवाद में जिस तरह से रिलायंस कंपनी को निशाना बनाया जा रहा है, वह देश के कारोबारी माहौल के लिए बेहद चिंताजनक है। यह एक तरह से उद्योगों का हौसला तोड़ने वाला भी है। जब राफेल की निर्माता कंपनी दासौ यह कह चुकी है कि उन्होंने इस उपक्रम के लिए साझीदार के तौर पर रिलायंस का चयन खुद अपनी मर्जी से किया है, तो ऐसे में बार-बार उस पर उंगली उठाना न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी का आगे का रास्ता भी पथरीला हो गया है। यहां सवाल सिर्फ रिलायंस का नहीं, बल्कि भविष्य में इस तरह की किसी महात्वाकांक्षी परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उत्साह ही ठंडा करेगा। इस सौदे में रिलायंस की भागीदारी को इस रूप में पेश किया जा रहा है, मानो भारत और फ्रांस सरकार के साथ-साथ दासौ ने कोई बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया हो। जबकि दुनिया में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तमाम बड़े नाम निजी क्षेत्र से ही आते हैं। जिस दासौ के राफेल को दुनिया का खतरनाक लड़ाकू विमान माना जा रहा है, वह भी एक निजी कंपनी है।

अनिल कुमार झा, द्वारका, दिल्ली

मनोबल बढ़ाने वाला काम

देश में कुछ उद्यमी वास्तव में अपने कर्मचारियों से बहुत स्नेह करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण दिवाली पर्व पर एक हीरा व्यवसायी का अपने कारीगरों को महंगे उपहार दिया जाना है। इससे कर्मचारियों का मनोबल तो बढ़ा ही होगा, साथ ही वे मन लगाकर काम भी करेंगे। कर्मचारी किसी भी संस्था, विभाग के अहम अंग होते हैं। अगर वे खुश हैं तो निश्चित रूप से वे जो उत्पाद तैयार करेंगे उसकी गुणवत्ता अच्छी ही होगी और इसका लाभ संस्था को भी मिलेगा।

आचार्य रामकुमार बघेल शास्त्री, पलवल

ट्वीट-ट्वीट

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा के मामले में सरकार के फैसले को अभी पलटा नहीं है, लेकिन हवा निकाल दी है। आचार्य प्रमोद@AcharyaPramodk

जिस कांग्रेस के राज में सीबीआइ को पिंजरे में बंद तोता बताया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस कांग्रेस के राज में क्वात्रोची का लुक आउट नोटिस वापस हुआ, 84 दंगों में टाइटलर को क्लीन चिट मिली, मुलायम-मायावती के खिलाफ मामलों में सीबीआइ का इस्तेमाल हुआ वह आज सीबीआइ की स्वायत्तता के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है। सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

जानकर हैरान हूं कि केरल में वाम मोर्चे सरकार की पुलिस की ओर से सबरीमाला मंदिर परिसर से गिरफ्तार करीब 2000 स्त्री-पुरुषों को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। धारा 144 का उल्लंघन तो मामूली बात होती है। इन लोगों को तो उसी शाम छोड़ दिया जाना चाहिए था। सुब्रमण्यम स्वामी@Swamy39

बेहद दुखद। कश्मीर में 22 साल का एक सैनिक पत्थरबाजों की भेंट चढ़ गया। वे सब कहां हैं जो पत्थरबाजों के प्रति नरमी बरतने की वकालत करते हुए सेना को हत्यारी भीड़ बताते हैं? तमाम पत्थरबाज आतंकी समूहों के भाड़े के गुर्गे हैं, जो आतंक के खिलाफ अभियानों को बाधित करने के लिए सामने आते हैं। गौरव सी सावंत@gauravcsawant

जनपथ

सीबीआई में मची जो जूतमपैजार,
इस नाटक का कौन है आखिर जिम्मेदार?
आखिर जिम्मेदार ढूंढकर आगे ला